E-mail: coeoffice@csjmu.ac.in

☎🖷: 0512-2246609
☎🖷: 0512-2246608

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

सन्दर्भ सं0: सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सी.ओ.ई. / 1163 / 2026 दिनांक : 03 / 09 / 2026

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में,

1. प्राचार्य / प्राचार्या,
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी,
   छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

विषयः रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन हेतु निराश्रित / दिव्यांग / शहीद परिवार की छात्राओं का डाटा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सातों जनपदों के महाविद्यालयों में सत्र 2025–26 की स्नातक अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण छात्राओं में निराश्रित / दिव्यांग / शहीद परिवार की छात्राओं की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत जनपदवार सूची प्रेषित की जानी है। शैक्षणिक सत्र 2025–26 में सामान्य मेधावी छात्राओं के लिए निर्धारित मेरिट से 10 प्रतिशत कम अंकों वाली शहीद परिवारो की मेधावी छात्रायें एवं दिव्यांग छात्रायें व निराश्रित छात्रायें योजना के लिए अर्ह मानी जायेंगी।

शासन द्वारा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत निराश्रित / दिव्यांग / शहीद परिवार की छात्राओं से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण वांछित हैः–

1. छात्रा का आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर सही एवं पूर्ण रूप से अंकित किया जाए।
2. छात्रा के परिवार की वार्षिक आय रू0 12,00,000 / – (रूपये बारह लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं छात्रा अथवा पिता के आय प्रमाण–पत्र (Income Certificate Number) का आवेदन क्रमांक एवं सर्टीफिकेट प्रमाण पत्र क्रमांक।
3. छात्रा के उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का निवास प्रमाण–पत्र का आवेदन क्रमांक एवं सर्टीफिकेट प्रमाण पत्र क्रमांक।
4. छात्रा की APAAR ID ।
5. छात्रा के माता या पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।

उपर्युक्त समस्त विवरण सम्बन्धित अभिलेखों से भली–भाँति मिलान एवं सत्यापन के उपरान्त ही अंकित किया जाए।

अतः आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त विभागों के निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य / प्राचार्या से अनुरोध कि अपने विभाग / संस्थान / महाविद्यालय के स्कूटी योजना हेतु निराश्रित / दिव्यांग / शहीद परिवार की छात्राओं का उपर्युक्त विवरण पूर्ण कराकर **एक्सल फाईल एवं सम्बन्धित अभिलेख / प्रमाण–पत्र (आधार कार्ड / आय प्रमाण पत्र / निवास प्रमाण–पत्र / अपार आई0डी0 / मृत्यु प्रमाण पत्र (माता–पिता)** अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 05.09.2026 को सायं 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें, जिससे रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु अग्रेतर कार्यवाही समयान्तर्गत की जा सके। उक्त योजना शासन की प्राथमिकता में है इसलिए किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा विलम्ब न किया जाए।

संलग्नकः– सूचना का प्रारूप।

(राकेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रो0 नीरज कुमार सिंह, नोडल अधिकारी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
2. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वैय0 सहायक, कुलसचिव / वित्त अधिकारी।
4. पी0एम0यू0 सेल / प्रभारी, कोडिंग।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

परीक्षा नियंत्रक

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना से सम्बन्धित निराश्रित/दिव्यांग/शहीद परिवार की छात्राओं से सम्बन्धित प्रारूप

Sl. No.	College Name	Student Name	Father Name	APAAR ID (ABC ID)	DOB	Mobile No.	Roll Number	Category	Enrollment No.	Domicile Application No.	Domicile Certificate Number	Income Annual Application No.	Income Annual Certificate Number	Stream	Course Name	CGPA	Percentage	Aadhar No.	Total Number of Physical Handicapted Bonafied Female Students Details (दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत)	Total Number of Destitute (Nirashrit) Bonafied female Details	Total Number of थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना bonafied female students Details